

घाटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...



www.ghatatighatana.com

अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 263- शुक्रवार 24- जुलाई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये

RNI Reg.No.- CHHHN/2004/15050, डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surgeja DN/ 2026-2028

संसद परिसर में पेपर लीक पर सियासी टकराव...प्रदर्शन के दौरान आमने-सामने आए एनडीए और विपक्षी सांसद

प्रियंका नारे लगाते एनडीए सांसदों के पास पहुंची...सुरक्षाकर्मियों ने रोका...

नई दिल्ली,23 जुलाई 2026। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को संसद भवन के बाहर एनडीए और विपक्ष आमने-सामने आ गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्ढा, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्ष के सामने एनडीए के सांसद भी विरोध प्रदर्शन में उतर गए। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनडीए सांसद पीएम आवास के बाहर 21 जुलाई को राहुल के धरने का विरोध कर रहे हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक नीट पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी एनडीए सांसदों के बिल्कुल करीब चली गईं। सुरक्षाकर्मियों ने बीच में आकर उन्हें रोका। संसद के भीतर भी हंगामा जारी रहा। इसके कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 बजे लोकसभा में कार्यवाही शुरू हुई तो भारी हंगामा शुरू हो गया। इस पर सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब दोबारा सदन शुरू हुआ तो सांसदों ने फिर से हंगामा कर दिया। इसके बाद राज्यसभा भी 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सिम्बल बोले...सरकार पहले अपने नेताओं पर फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए :

राज्यसभा सांसद कपिल सिम्बल ने कहा कि सरकार पहले अपनी पार्टी के उन नेताओं के खिलाफ फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए,जिन पर पहले गंभीर आरोप लगाए गए थे और बाद में उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया गया। उन्होंने सवाल



राज्यसभा में खड़गे के आरोपों पर नड्डा बोले...विपक्ष का व्यवहार गैर-जिम्मेदारना

राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर जवाब दिया। नड्डा ने कहा- विपक्ष का व्यवहार बेहद गैर-जिम्मेदारना है। वे न तो चर्चा करना चाहते हैं और न ही सदन चलने देना चाहते हैं।

प्रियंका बोलीं...पीएम मंगल मिशन का श्रेय लेते हैं तो युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी भी ले...

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्ढा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा- प्रधानमंत्री देश की हर उपलब्धि और मंगल मिशन तक का श्रेय लेते हैं, जो हमारे युवाओं और देशवासियों की मेहनत का नतीजा है। अब उनके जिम्मेदारी लेने का समय है।

रिजिजू बोले...नीट पेपर लीक पर सरकार किसी भी तरीके से चर्चा को तैयार

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने सदन में कहा...सरकार लोकसभा और राज्यसभा में नीट पेपर लीक पर विपक्ष जिस तरीके से, जिस तारीख को और जितनी देर चाहे, चर्चा के लिए तैयार है।

किया कि उनके खिलाफ सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही और पहले से चल रही जांच क्यों रोक दी गई। सिम्बल ने कहा कि छात्रों का आंदोलन 28 जून से चल रहा है और 25 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान सरकार ने न तो छात्रों

से बातचीत की और न ही उनकी चिंताओं पर कोई बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब छात्र भूख हड़ताल पर बैठे थे, तब सरकार चुप रही और अब युवाओं के बढ़ते गुस्से को देखकर सरकार सक्रिय हुई है।

काँकरोच जनता पार्टी ने भरी हुंकार...आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान,सभी जिलों में आंदोलन करने की छात्रों से अपील

नई दिल्ली,23 जुलाई 2026। जंतर-मंतर पर जारी छात्रों के धरना-प्रदर्शन के बीच काँकरोच जनता पार्टी (काँकरोच जनता पार्टी) ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया है। काँकरोच जनता पार्टी ने बड़े देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। इसके साथ ही पार्टी ने आह्वान किया है कि बड़ी संख्या में छात्र इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। काँकरोच जनता पार्टी ने देशभर में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। पार्टी ने छात्रों और युवाओं से बड़ी संख्या में आंदोलन में शामिल होने की अपील की है। यह प्रदर्शन पेपर लीक मामले और छात्रों के तमाम मुद्दों और मांगों को लेकर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्र लगातार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। सीजेपी ने इस प्रदर्शन की जानकारी एक डिजिटल पंफ्लेट के जरिये शेयर की है। यह पंफ्लेट सोशल मीडिया पर तेजी से



सर्कुलेट किया जा रहा है। सीजेपी ने लोगों से अपील की है कि वह बड़ी संख्या में पीसफुल प्रोटेस्ट करें और एकजुटता दिखाएं। संगठन ने हर जिले में एक दिन के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की अपील करते हुए कहा है कि यह आंदोलन देशभर में पुलिस कार्रवाई के पीड़ितों के साथ एकजुटता जताने के लिए किया जाएगा। प्रदर्शन आज आयोजित होगा और इसके लिए छात्र संगठनों व अन्य सामाजिक संगठनों से मिलकर लोकल लेवल पर परमिशन और जरूरी व्यवस्थाएं करने को कहा

गया है। काँकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन के दौरान इकट्ठा हुए लोगों के सामने छात्रों की मांगों को सार्वजनिक रूप से पढ़ने और पुलिस कार्रवाई का सामना करने वालों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने की अपील की है। संगठन ने बताया है कि प्रदर्शन से संबंधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रचार सामग्री और जापान का प्रारूप उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। पोस्टर के अंत में 'इंकलव ज़िंदाबाद' और 'भारत माता की जय' के नारों के साथ देशभर के लोगों से इस शांतिपूर्ण

विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की गई है। नीट पेपर लीक के मुद्दे पर आंदोलन कर रही काँकरोच जनता पार्टी और केंद्र सरकार के बीच बातचीत को लेकर गतिरोध बना हुआ है। एक तरफ जहां सरकार गतिरोध समाप्त करने के लिए बातचीत की मेज पर आने की अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी ने अपनी शर्त रख दी है। इसके साथ ही सीजेपी ने शुक्रवार को देशव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। काँकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने साफ किया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के आवास या मंत्रालय में कोई बैठक नहीं होगी। आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार के प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा कि नड्डा के घर पर कोई बैठक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत करनी है तो यह जंतर-मंतर या किसी बीच की जगह पर हो सकती है।

गुरुग्राम-मेदांता में 600 जवानों की सिव्योरिटी में सोनम वांगचुक : बोले-भरोसा मिले तो आज ही अनशन खत्म,नड्डा ने कहा-आपकी विट्ठी मिली,चर्चा कर रहे

गुरुग्राम,23 जुलाई 2026। सोनम वांगचुक के अनशन का गुरुवार को 26वां दिन था। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हुए उन्हें दो दिन हो चुके हैं। बुधवार को उनसे मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और समाजवादी पार्टी के 15 विपक्षी सांसदों को पुलिस ने रोक दिया था। पुलिस और सांसदों के बीच बहस हुई। नाराज सांसद गेट पर ही धरने पर बैठ गए। इसे लेकर करीब एक घंटे तक हंगामा चला। इसके बाद सोनम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो मैसेज

जारी किया, जिसमें कहा- अनशन को 25 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक जिंदा हूं। कुछ सांसद मुझसे मिलने आए, उन्होंने उन्हें दो दिन हो चुके हैं। भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। मुझे अगर सरकार की तरफ से भरोसा मिले तो मैं आज ही अनशन खत्म करने की तैयार हूँ। बस सरकार छात्रों के खिलाफ कार्रवाई न करे।' उधर, शाम को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वांगचुक ने हमें ओपन लेटर लिखा है। हम जल्दी उस लेटर का जवाब देंगे।



देशभर में पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन : बिहार के कटिहार में स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज,ईट-पत्थर चले,हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस से भिड़े कांग्रेसी

नई दिल्ली,23 जुलाई 2026। नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में गुरुवार को भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। बिहार के कटिहार में छ्रू ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। छात्र अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो ईट-पत्थर चलाए गए। वहीं हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस की कांस्रियों से झड़प हो गई। दरभंगा, बेगूसराय,जहानाबाद और कटिहार में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से जमकर ईट-पत्थर चलाए गए। जहानाबाद में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद छात्र उग्र होकर रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर पत्थरबाजी शुरू कर दी। रेलवे ट्रैक से प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए



फायरिंग करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस ने 30 राउंड हवाई फायरिंग की। बेगूसराय में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। छात्र गेट पर चढ़ गए थे। पुलिस सभी छात्रों से पीछे हटने की अपील की। लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं थे। छात्रों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज किया, ताकि प्रदर्शनकारियों

को हटाया जा सके। इस दौरान छात्रों ने जिला प्रशासन की गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। वहीं, कटिहार में डीएम ऑफिस के बाहर तैनात मजिस्ट्रेट की पत्थरबाजी में आंख फूट गई। वहीं, पटना कॉलेज के पास छात्र फिर स्टूडेंट्स पर उतरे। अशोक राजपथ पर जाम लगा दिया। छात्रों का कहना है कि धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। थोड़ी देर बाद पुलिस ने छात्रों को डिटेन किया। उन्हें बस में भरकर ले जाया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्र ने कहा कि जब तक धर्मेन्द्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। पुलिस लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। केंद्र सरकार तानाशाही हो गई है, हम लोगों के अधिकारों का दमन कर रही है। हम मोदी सरकार से डरने वाले नहीं हैं। खराब शिक्षा नीति के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, क्या मतलब है इसका।

सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से झटका...जमानत रद्द,तीन हफ्तों में सरेंडर आदेश

नई दिल्ली,23 जुलाई 2026। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। देश की सर्वोच्च अदालत ने मेघालय सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए आरोपी सोनम की जमानत को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने उसे आगामी तीन सप्ताह के भीतर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का सख्त आदेश दिया है। यह पूरा मामला ट्रॉसपोर्ट व्यापारी राजा रघुवंशी की हनीमून

के दौरान हुई रहस्यमयी हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। छह महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने के निर्देश : सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि इस सनसनीखेज मामले का निचली अदालत में ट्रायल आगामी छह महीने की समयवाधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित छह महीने के इस समय अंतराल में ट्रायल पूरा नहीं हो पाता है, तो आरोपी सोनम रघुवंशी के पास



यह कानूनी विकल्प होगा कि वह निचली अदालत या उच्च न्यायालय में दोबारा अपनी जमानत याचिका दाखिल कर सकती है। हालांकि, फिलहाल उसे अदालत

के आदेशानुसार तीन सप्ताह के भीतर हर हाल में सरेंडर करना होगा। कोर्ट द्वारा सोनम के वकीलों को दिए गए दो विकल्प : बीते मंगलवार को चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी के वकीलों के समक्ष दो स्पष्ट विकल्प रखे थे। अदालत ने पूछ था कि क्या सोनम खुद अपनी इच्छा से इस मामले में सरेंडर करेगी, या फिर न्यायालय उसकी जमानत को खारिज करने के संबंध में अपना अंतिम फैसला सुनाएगा। वहीं दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए अपने

लिखित जवाब में आरोपी सोनम ने खुद को पूरी तरह बेकसूर बताया था। उसने दावा किया था कि उसे इस गंभीर मामले में झूठ फंसाया गया है और उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष का पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर ही आधारित है। मेघालय सरकार की पैरवी करते हुए सॉलिडिस्टर जनरल (स्व) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में जोरदार दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों की टाहपिंग के दौरान केवल एक कानूनी धारा के नंबर को लिखने में मामूली तकनीकी गलती हो गई थी।

पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं,दोषी बख्शो नहीं जाएंगे : पीएम मोदी

नई दिल्ली,23 जुलाई 2026। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम का यह ऐलान काँकरोच जनता पार्टी और विपक्ष के प्रदर्शन के बीच आया है। सीजेपी पिछले 34 दिन से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। वहीं, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक 26 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं उनका इलाज चल रहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पेपर लीक केस के लिए पहली बार फास्ट ट्रैक कोर्ट

देश में अब तक पेपर लीक मामलों की सुनवाई सामान्य अदालतों में होती थी,इसलिए फैसला आने में कई साल लग जाते थे। अब प्रधानमंत्री ने इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है, ताकि फैसला तेजी से हो सके। भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत साल 2000 में हुई थी। इनका गठन 11वें वित्त आयोग की सिफारिश पर किया गया था। आयोग ने देशभर में 1734 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए स्पेशल फंड की अनुशंसा की थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट का रिकॉर्ड भी बेहतर रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार,पि और पॉक्सो मामलों के लिए बनी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2019 से 2025 तक 3.06 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा किया है। इन अदालतों में मामलों के निपटारे का रेट 96.28% है, यानी जितने नए मामले आए,लगभग उतने ही मामलों का निपटारा भी हुआ। हालांकि, नए मामले लगातार दर्ज होने के कारण 2025 के अंत तक



2.45 लाख से ज्यादा मामले पेंडिंग थे,जबकि 2024 के अंत में यह संख्या 2.04 लाख थी।

पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को लेकर विपक्षी दलों ने जताया विरोध

पेपर लीक में शामिल लोगों को कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्स पोस्ट पर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया है। तुणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद सागरिका घोष ने संसद परिसर से बाहर मीडिया से कहा कि पहले इस्तीफा, फिर चर्चा। हम सदन में नीट पर चर्चा की मांग कर रहे हैं,लेकिन चर्चा से पहले शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा। अगर वह इस्तीफा नहीं देते हैं, तो हम चर्चा नहीं करेंगे। धर्मेन्द्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं देंगे? यह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वहीं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम) के सांसद जॉन ब्रिटान ने कहा कि यह विरोध सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहेगा। हम सड़कों पर उतरेंगे। हमने तय किया है कि हम धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। हम जरा भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्हें इस्तीफा देना ही होगा। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि उनके (धर्मेन्द्र प्रधान) के कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए, इस पर एक श्वेत पत्र आना चाहिए। कितने लोगों पर मुकदमा चला, कितनों को सजा मिली, कितने जेल गए, कितनों को सजा सुनाई गई, अब तक कुछ नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने का मामला कोर्ट पहुंचा,सीजेआई बोले... जरूरत पड़ी तो कररूंगा हस्तक्षेप

नई दिल्ली,23 जुलाई 2026। छात्रों के प्रदर्शन के कारण बंद किए गए सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन का मुद्दा गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उठा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने मांग की कि जिन वकीलों, पक्षकारों और अदालत के कर्मचारियों के पास सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश का वैध पास है, उन्हें सुरक्षा जांच के बाद स्टेशन से आने-जाने की अनुमति दी जाए। विकास सिंह ने कहा कि मेट्रो स्टेशन पर एक ही निकास द्वार है, जहां सभी की अच्छी तरह जांच की जा सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि केवल वैध पास और प्रॉक्सिमिटी कार्ड रखने वालों को बाहर निकलने दिया जाए, जबकि बाकी यात्रियों को दूसरी ट्रेन से आगे भेजा जा सकता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को इस मामले



पर मेट्रो अधिकारियों से बात करने के लिए कहा जा चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो वह स्वयं हस्तक्षेप करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि वकीलों की अनुपस्थिति के कारण किसी भी मामले में उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने सुरक्षा कारणां और 'चलो संसद' प्रदर्शन को देखते हुए सुबह 7:30 बजे से सुप्रीम कोर्ट समेत 16 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं।

संपादकीय जनमानस को समझने में विफल विपक्ष

फिछले एक महीने में राष्ट्रीय राजनीति तथा संसद का समीकरण जिस तरह से बदला है उसकी कल्पना किसी को नहीं थी। क्या भाजपा या राजग विरोधी दलों, नेताओं में से किसी ने सोचा था कि बंगाल का चुनाव परिणाम आते ही ममता बनर्जी की तुणमूल कांग्रेस टूट जाएगी और उसके 28 में से 20 लोकसभा सदस्य अलग समूह बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के समर्थन की घोषणा करेंगे? इस सिलसिले की शुरुआत आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सदस्यों के भाजपा में शामिल होने से हुई। टीएमसी के राज्यसभा सदस्यों के भी इस्तीफे हो रहे हैं। एक तरह से ममता बनर्जी का खुद की तुणमूल पर कोई अधिकार नहीं रह गया है। उद्धव ठाकरे की बची-खुची शिवसेना भी उनके हाथ से फिसलती जा रही है।

बीते दिनों उनके छह सांसद राजग के साथ चले गए। पहले भी कुछ सांसद एवं विधायक एक दल छोड़कर दूसरी ओर गए हैं, लेकिन इस तरह की घटना राष्ट्रीय राजनीति में पहले कभी नहीं हुई। माहौल ऐसा बन गया है कि अनेक पार्टियों के शीर्ष नेता दिन-रात इस भय में हैं कि पता नहीं उनके कितने सांसद या विधायक अचानक साथ छोड़कर दूसरी ओर जाने की घोषणा कर दें। पहली दृष्टि में ऐसा लगता है कि भाजपा अंदर ही अंदर नेताओं को दल-बदल के लिए तैयार करा रही है, पर क्या यही सच है?

कांग्रेस या अन्य पार्टियां भाजपा पर भले आरोप लगाएं, किंतु इस प्रक्रिया से उन सबको भयभीत होना चाहिए, जो बदलते हुए सामूहिक राष्ट्रीय मानस और धारा के विपरीत काम कर रहे हैं। विपक्ष के इस आरोप को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा ने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अन्य दबावों से यह स्थिति पैदा की है। इतनी बड़ी संख्या में सांसद और विधायक वर्षों का साथ छोड़कर सीधे भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन के साथ जा रहे हैं तो यह परिघटना सामान्य नहीं मानी जाएगी। इनमें से कितने सांसद, विधायक होंगे जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले हैं?

सारे सांसदों, विधायकों में से बहुत कम पर भ्रष्टाचार या अपराध के संगीन मामले हैं। बदलते घटनाक्रम में शरद पवार और सुप्रिया सुले के कदमों ने जता दिया है कि इन सबमें बुद्धिमान वही निकले। अगर शरद पवार ने राजग के साथ जाने का संकेत नहीं दिया होता तो उनके आठ में से छह सांसद और सभी दसों विधायक साथ छोड़कर चले जाते।

हालांकि शरद पवार ने राष्ट्रीय स्तर पर बदलती राजनीति, जनमानस और धारा को समझने में काफी देर की। अगर वह पहले समझ गए होते और महाविकास आघाड़ी या आइएनडीआई के सपने में नहीं जाते तो उनकी पार्टी एक होती और शीर्ष नेता वही माने जाते।सांसदों-विधायकों के टूटने की घटना को गत 17 अप्रैल को 131वें संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में गिर जाने से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यानी विपक्षी दलों के सांसदों के अंदर भय पैदा हो गया है कि महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण का हमने समर्थन नहीं किया और विरोध में चले गए तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे, किंतु इसी कारण केवल सांसद और विधायक भाजपा या राज्य की ओर आ रहे हों, यह मान लेना भी पूरी स्थिति का सामान्य विश्लेषण होगा।

कर-संस्कृति : विकसित भारत का अदृश्य संविधान

कृति आर.के.जैन,बड़वानी,मध्यप्रदेश

राष्ट्र की शक्ति केवल मतगणना से नहीं,करगणना से भी मापी जाती है। मतपत्र नागरिक की राजनीतिक चेतना का प्रतीक है, तो आयकर रिटर्न उसकी आर्थिक निष्ठा का। विडंबना यह है कि मतदान पर व्यापक विमर्श होता है, पर कर-अनुशासन पर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखती। जबकि किसी भी आधुनिक राष्ट्र की स्थिरता का वास्तविक आधार उसकी कर-संस्कृति होती है। 24 जुलाई का आयकर दिवस इसी मौन सत्य का स्मरण कराता है कि राष्ट्र का भविष्य केवल बजट नहीं, बल्कि करोड़ों ईमानदार करदाताओं के निष्ठापूर्ण योगदान से आकार लेता है। विकसित भारत का आधार केवल नीतियाँ नहीं, बल्कि उत्तरदायी कर-संस्कृति है। इसलिए आयरर दिवस किसी विभागीय औपचारिकता का नहीं, आर्थिक नागरिकता के सम्मान का अवसर है। इतिहास गवाह है कि समृद्ध राष्ट्रों की नींव केवल संसंधानों पर नहीं, सुदृढ़ कर-संस्कृति पर टिकी होती है। भारत में आधुनिक आयकर व्यवस्था का औपचारिक आरंभ 24 जुलाई 1860 को सर जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत आयकर अधिनियम से हुआ, किंतु स्वतंत्र भारत ने इसे केवल राजस्व-संग्रह नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास का माध्यम बनाया। 1961 के आयकर अधिनियम के बाद सरलीकरण की दिशा में नया आयकर कानून भी प्रस्तावित/लागू होने की प्रक्रिया में है, प्रत्यक्ष कर प्रशासन में सुधार, कंप्यूटीकरण, केंद्रीकृत प्रसंस्करण और डिजिटल कर प्रणाली उसी दृष्टि के क्रमिक विस्तार हैं। आज भारत विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में है और वैश्विक संस्थाएँ उसे आने वाले दशक का विकास-प्रेरक मान रही हैं। इस उपलब्धि के मूल में करोड़ों ईमानदार करदाताओं से निर्मित वही राजस्व है, जिसने विकास की गति को निरंतर बनाए रखा।

हर सार्वजनिक उपलब्धि के पीछे एक मौन निवेश छिपा होता है-करदाता का। राष्ट्रीय राजगर्माों, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं,नई शिक्षा नीति के अनुरूप विकसित संस्थानों, रक्षा आधुनिकीकरण,डिजिटल अवसरचना,अंतरिक्ष अनुसंधान, जल संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की वास्तविक नींव ईमानदारी से अदा किए गए कर पर टिकी है। नागरिक अपनी आय का एक अंश राष्ट्र को देकर केवल राजस्व नहीं देता, बल्कि समान अवसरों वाले भारत के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करता है। इसलिए विकसित देशों में कर भुगतान सम्मान का प्रतीक माना जाता है। भारत भी अब उसी दिशा में बढ़ रहा है, जहाँ करदाता राजस्व का स्रोत नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्रति्ठा का सह-रचयिी माना जाता है।

कर प्रशासन का नया चेहरा कानूनों से कम, तकनीक से अधिक गढ़ा गया है। कभी आयकर कार्यालयों के चक्कर, कागजी फाइलें और लंबी प्रतीक्षाएँ करदाताओं की विवशता थीं; आज फेसलेस असेसमेंट,प्री-फ़िल्ड आयकर रिटर्न,ऑनलाइन सत्यापन, डिजिटल भुगतान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जोखिम विश्लेषण ने प्रक्रिया को पाददर्शी, त्वरित और विश्वसनीय बना दिया है। हत्यक्ष कर संग्रह में निरंतर वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि सरल व्यवस्था स्वेच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देती है। विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों ने भी डिजिटल सार्वजनिक अवसरचना में भारत की प्रगति को उल्लेखनीय माना है। तकनीक का उद्देश्य केवल निगरानी नहीं, बल्कि करदाता और शासन के बीच भरोसे का स्थायी सौतेला बनाना है। इसलिए आज करदाता व्यवस्था से उरता नहीं, उस पर भरोसा करता है।

कर भुगतान का सबसे बड़ा लाभ सरकार नहीं, स्वयं करदाता प्राप्त करता है। नियमित आयकर रिटर्न आय, व्यय, निवेश और बचत का अनुशासित लेखा विकसित करता है, जो बैंकिंग, ऋण, उद्यमिता और वित्तीय सुरक्षा की मजबूत आधारशिला बनता है। जनधन, डिजिटल भुगतान, यूपीआई और औपचारिक अर्थव्यवस्था के विस्तार ने नागरिक को अधिक वित्तीय रूप से जागरूक बनाया है। आज करदाता केवल कर अदा करने वाला नहीं, बल्कि आर्थिक अनुशासन का प्रतिनिधि है। विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में बढ़ती वित्तीय साक्षरता इसी परिवर्तन का संकेत है। नई पीढ़ी जब कर को दंड नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व मानेगी, तभी आर्थिक राष्ट्रवाद विचार नहीं, व्यवहार बनेगा।

कर नीति अब केवल आय का साधन नहीं, आने वाले भारत की दिशा तय करने का माध्यम भी है। स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हरित निवेश, टिकाऊ उद्योग और ऊर्जा-दक्ष तकनीकों को प्रोत्साहन इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के बीच भारत ने नेट-जीरो उत्सवर्जन सहित दीर्घकालिक लक्ष्य प्रतिश्ठित किए हैं। ऐसे में कर व्यवस्था केवल आर्थिक गतिविधियों को नहीं, बल्कि पर्यावरण-अनुकूल जीवनशैली को भी गति दे रही है। कर प्रोत्साहनों से उद्योग और नागरिक हरित विकल्प अपनाने हैं, तो उसका लाभ वर्तमान से आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचता है। इस प्रकार आयकर व्यवस्था अब राजस्व-संग्रह से आगे बढ़कर सतत विकास की प्रभावी प्रेरक बन चुकी है।

कर व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा कर-संग्रह नहीं, कर-निष्ठा है। कर चोरी, अवोषित आय और नकद अर्थव्यवस्था का विस्तार ईमानदार करदाताओं पर अतिरिक्त बोझ डालता है और सामाजिक असमानता को गहरा करता है। इसलिए प्रभावी कर प्रशासन और करदाता-सुविधा के बीच संतुलन अनिवार्य है। सरकार की जिम्मेदारी सरल कानून, स्पष्ट प्रक्रियाएँ और त्वरित शिकायत निवारण सुनिश्चित करना है, वहीं नागरिकों को समझना होगा कि कर से बचना अंततः हानि और अपने ही विकास से विमुख होना है। लोकतंत्र केवल अधिकारों का उसव नहीं, दायित्वों का अनुशासन भी है। जब कर भुगतान राष्ट्रनिर्माण में स्वेच्छिक सहभागिता का संस्कार बन जाएगा, तब अनुपालन दंड के भय से नहीं, जागरूक नागरिकता से स्वतः सुनिश्चित होगा।

स्मार्ट मीटर : हंगामा क्यों है बरपा

इन दिनों छत्तीसगढ़ में बिजली बिल को लेकर चर्चा जोरों पर है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर तो कुछ राजनीतिक रूप से स्मार्ट मीटर

को बढ़े हुए बिजली बिल का दोषी ठहरा रहे हैं। चर्चा के केन्द्र में आए स्मार्ट मीटर को लेकर जिज्ञासा भी बढ़ी है। एक उपभोक्ता के नजरिए से स्मार्ट मीटर को देखना भी चाहिए। असल में स्मार्ट मीटर स्थापना का निर्णय देश की ऊर्जा जरूरतों, गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति तथा सभके लिए ऊर्जा के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक कार्ययोजना का हिस्सा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में सुधारवादी कदम के रूप में यह अपनी कितनी उपयोगिता साबित कर पाया है यह जानना जरूरी।

क्या है सुधारवादी कदम

देश में विद्युत ऊर्जा की मांग बीते एक डेढ़ दशक में तेजी से बढ़ी है। वर्ष 2013-14 में जहाँ 136 गीगावॉट की अधिकतम मांग थी वह इस वर्ष 270 गीगावॉट पर पाकर गई है। ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि, वारेणन तंत्र की मजबूती और वितरण प्रणाली का सुदृणीकरण आवश्यक हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण था तकनीकी लॉस वें वाणिज्यिक हानि (एटीएंडसी लॉस) को न्यूनतम स्तर पर लाना। हानि को कम करने तथा पारदर्शी वितरण एवं बिलिंग व्यवस्था की मजबूती के लिए 2021 में देशभर में पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना ((आरडीएसएस) की शुरुआत की गई। योजना के तहत पुराने विद्युत कंडक्टर को बदलना,

उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि, फीडर पृथक्करण (सेपरेशन) , एनर्जी ऑडिट, ट्रांसफार्मर स्तर से लेकर उपभोक्ताओं तक उन्नत प्रौद्योगिकी वाले स्मार्ट मीटर की स्थापना शामिल है।

कितना हुआ बदलाव

आरडीएसएस योजना के विभिन्न उपायों जिसमें स्मार्ट मीटर की स्थापना भी शामिल है के लागू होने के बाद परिणाम चौंकाने वाले हैं। विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में वर्ष 2020-21 में विद्युत हानि 21.91 प्रतिशत थी जो 2024-25 में गिरकर 15.04 प्रतिशत पहुंच गई है। देश में 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। बिहार,असम ,आंध्रप्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में सबसे अधिक सकारात्मक बदलाव देखे गए हैं। बिहार में विद्युत हानि 39.39 प्रतिशत से 15.51 प्रतिशत ,असम में 23.39 प्रतिशत से 15.44 प्रतिशत , आंध्रप्रदेश में 20.4 प्रतिशत से घटकर 7.9 प्रतिशत तक आ चुकी है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेष्य में देखें तो यहाँ और अहम हो जाता है क्योंकि सरकार हर वर्ग के उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष तौर पर रियायती बिजली उपलब्ध कराती है। योजना के क्रियाव्यनय से यहाँ यह घाटा बीते दो वर्ष में ही 03 प्रतिशत घटकर 13 प्रतिशत से नीचे आ गया है। जबकि राज्य निर्माण के समय 34 प्रतिशत हानि का भार झेल रहे थे। यह विद्युत वितरण क्षेत्र में व्यापक सुधार के परिणाम को दर्शाता है।

बिजली की बढ़ती खपत

देश में बिजली की खपत बढ़ने में औद्योगिक, परिवहन , कृषि ,व्यवसायिक से लेकर घरेलू उपभोक्ताओं की भूमिका अहम है। छत्तीसगढ़ में ही घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत खपत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। प्रति व्यक्ति

स्मार्ट मीटर का विरोध किया जा रहा है। यह विरोध राजनीतिक भी होता जा रहा है। जनता की भावनाओं का राजनीतिक उपयोग होता रहा है संभव है इस मसले में भी हो पर इस विरोध में बड़ा विरोधाभास भी दिखता है। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर की स्थापना का निर्णय से लेकर निविदा तक एक दल की सरकार रही वहीं दूसरे दल की सरकार ने आकर उसे आगे बढ़ाया। इसी प्रकार देश के कई राज्यों में विरोध कर रहे दलों की सरकार है जो अपने यहाँ स्मार्ट मीटर को बढ़ावा दे रहे हैं या प्रारंभ करने में शामिल थे। इसमें हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडू, केरल, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। इसलिए ऐसे में यह संदेह के दायरे में है कि विरोध स्मार्ट मीटर का है या राजनीतिक। कुछ सोशल मीडिया में अपूर्ण तथ्यों के आधार पर स्मार्ट मीटर का विरोध भी जोरों से हो रहा है। इससे वे परोक्ष रूप से बिजली क्षेत्र के सुधारक कदमों को रोकने का ही प्रयास कर रहे हैं।

क्या है उपाय

एक उपभोक्ता का अधिक बिल आना निश्चित ही उसके बजट को सीधे प्रभावित करता है। ऐसे में यदि उपभोक्ता को बिल पर संदेह है तो निराकरण के कई मंच हैं। अच्छे बात तो स्मार्ट मीटर के मामले में यही है कि वो उपभोक्ता को अधिक सशक्त बनाता है। खपत पर निगरानी से लेकर नियंत्रण की सुविधा मोबाइल पर उपलब्ध है। संदेह का समाधान मीटर की जाँच कर भी कर सकते हैं। केन्द्र सरकार के निर्देशों के तहत प्रदेश में मीटर की जाँच की सुविधा उपलब्ध है। शिकायत हो तो चेक मीटर से जाँच , अस्तुंतु होने पर एनएबीएल प्रमाणित प्रदेश की मीटर जाँच प्रयोगशाला में भी जाँच की सकती है। भिलाई स्थित

विश्व में भारत के खिलाफ नैरेटिव गढ़ता बीबीसी

दुनिया भर में अपनी पत्रकारिता के कारण सुर्खियों में रहने वाला बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन) का विवादों से गहरा नाता रहा है।

कई देश बीबीसी की खबरों को उसके ‘एजेंडे’ के रूप में देखते हैं। बीबीसी पर भारतीय राजनीति, समाज और नीति-निर्माण को प्रभावित करने के लिए एजेंडा-आधारित पत्रकारिता और नैरेटिव मैनिपुलेशन (कहानियों को तोड़ने-मरोड़ने) के आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। आलोचकों, विचारकों और भारत सरकार के समर्थकों का मानना है कि बीबीसी अक्सर भारत की नकारात्मक छवि पेश करता है और संवेदनशील मुद्दों पर एकाग्रताप दृष्टिकोण अपनाकर असंतोष को भड़काता है। ऐसा ही कुछ कॉकरोच जनता पार्टी के पददर्शन के दौरान भी देखने को मिल रहा है।बीबीसी की रिपोर्टिंग पर नजर डालने से कुछ विशेष नोटर्न सामने आते हैं, जिनके जरिए खबरों को एक खास दिशा दी जाती है। भारत से जुड़ी खबरों में ऐसे शीर्षकों का चयन किया जाता है, जो सीधे तौर पर देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। जटिल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को सरलीकृत करके सीधे तौर पर बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के रूप में पेश किया जाना। बीबीसी का लोकल नैरेटिव को ग्लोबल एजेंडा बनाना भी अक्सर चिंताजनक नजर आता है। उसके द्वारा स्थानीय स्तर के आपराधिक मामलों को राष्ट्रीय राजनीति और सरकार की नीतियों से जोड़कर दिखाने के कई उदाहरण मौजूद हैं। बीबीसी द्वारा अपनी रिपोर्ट में केवल उन्हीं विचारकों, पत्रकारों या कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाता है, जो सरकार विरोधी रुख रखते हैं। बीबीसी के दखन/उदासीन और मैनिपुलेशन के कई उदाहरण मौजूद हैं।बीबीसी द्वारा 2023 में दो भागों में जारी की गई ‘इंडिया-द मोदी केंद्रश्र’ डॉक्यूमेंट्री में 2002 के गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। इस डॉक्यूमेंट्री को ऐसे समय पर रिलीज किया गया, जब भारत की-20 (जी-20) की अध्यक्षता संभाल रहा था और वैश्विक मंच पर अपनी छवि मजबूत कर रहा था। इसमें भारत की सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित एसआईटी की उस जांच को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया, जिसने नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। दरअसल, बीबीसी का उद्देश्य कानूनी रूप से सुलझ चुके इस संवेदनशील और रूब्वीकरण करने वाले मुद्दे को दोबारा हवा देकर देश में राजनीतिक अस्थिरता और असंतोष पैदा करना था। साल 2020-2021 में भारत सरकार द्वारा लागू एक तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान बीबीसी की कवरेज को बेहद एकरसता माना गया। बीबीसी की ग्राउंड रिपोर्टर्स और डिजिटल ऑटिकल्स में मुख्य रूप से आंदोलनकारियों के पक्ष को ही सही ठहराया गया। इसमें लाल किले पर हुई हिंसा और पुलिसकर्मियों पर हुए हमलों को या तो बहुत कम दिखाया गया या उन्हें जायज ठहराने की कोशिश की गई। कानूनों के समर्थन में खड़े करोड़ों छोटे किसानों के दृष्टिकोण को बीबीसी ने अपनी मुख्यधारा की कहानियों में कोई जगह नहीं दी। इस कवरेज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश दिया कि भारत सरकार किसानों का दमन कर रही है, जिससे भारत की लोकतांत्रिक छवि को चोट पहुंची।

2020 में समाज नागरिक सहिता यानी सीएए विरोधी प्रदर्शनों और उसके बाद फरवरी 2020 में हुए दिल्ली दंगों के दौरान बीबीसी की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे। बीबीसी ने सीएए को एक



मुस्लिम विरोधी कानून के रूप में प्रचारित किया, जबकि यह कानून केवल पड़ोसी देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए था, न कि किसी की नागरिकता छीनने के लिए। दिल्ली दंगों की रिपोर्टिंग में बीबीसी ने हिंसा को एकरसता मुस्लिम विरोधी दंगे के रूप में पेश किया, जबकि दंगों में दोनों पक्षों (हिंदू और मुस्लिम) के लोग मारे गए थे और खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा व पुलिस हेड कांटे्रबल रतन लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। बीबीसी को इस तरह की रिपोर्टिंग ने देश के भीतर सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ाने का प्रयत्न करने के लिए दोषी ठहराया है। अल्पसंख्यक के रूप में पेश करने का काम किया।1947 से लेकर अगस्त 2019 में जब्ू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने तक, बीबीसी की कश्मीर नीति को लेकर भारत में हमेशा आक्रोश रहा। बीबीसी अपनी रिपोर्टों में कश्मीर को भारत प्रशासित कश्मीर लिखता रहा। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बीबीसी ने घाटी में केवल तालाबंदी, विरोध और सेना की कथित ज्यादतियों को ही दिखाया। वहां अलंकवाद के खात्मे, विकास कार्यों, स्कूलों के खुलने और कश्मीरी पंडितों के दर्द को उसकी रिपोर्टिंग में हमेशा हाशिए पर रखा गया। उसकी यह रिपोर्टिंग वैश्विक स्तर पर कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रियकरण करने और पाकिस्तान के रुख को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत करने की कोशिश की। दूसरी लहर के दौरान बीबीसी की कवरेज मातृभूय संकट से ज्यादा राजनीतिक प्रहार पर केंद्रित थी। बीबीसी ने रश्मशान घाटों और जलती हुई चिताओं की तस्वीरों को अत्यधिक जून कैमरों के जरिए जूम करके दिखाया। जबकि पश्चिमी देशों (जैसे अमेरिका और यूके) में महमारी से भीषण मौतें होने के बावजूद वहां के मीडिया ने लाशों और कब्रिस्तानों की ऐसी डरवनी तस्वीरें नहीं दिखाईं। आपत्त के समय इस तरह के दृश्य बार-बार दिखाकर बीबीसी ने देश के भीतर जनता में पैनिक (डर का माहौल) पैदा किया और सरकार की व्यवस्था को पूरी तरह से विफल दिखाने का प्रयास किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि बीबीसी का यह रवैया महज इश्टाफक नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरे निहित स्वार्थ थे। संवेदनशील मुद्दों को भड़काना, तथ्यों को आधा-अधूरा पेश करना और भारत की नकारात्मक छवि को दुनिया के सामने बढ़ा-चढ़ाकर दिखाना इसकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है।

बीबीसी की रिपोर्टिंग पर नजर डालने से कुछ विषय पैटर्न सामने आते हैं, जिनके जरिए खबरों को एक खास दिशा दी जाती है। उसके द्वारा भारत से जुड़ी खबरों में ऐसे शीर्षकों का चयन किया जाता है, जो सीधे तौर पर देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। बीबीसी बेहद आसानी से जटिल सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को सरलीकृत करके सीधे तौर पर बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक के रूप में

जंतर-मंतर,राजनीति और जन-आक्रोश का यह ताना-बाना बेहद जटिल है..



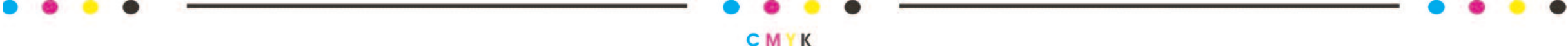
डॉ. मृण्ताक अहमद शाह सहज,हरदा,मध्य प्रदेश

दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर-मंतर केवल पत्थरों और चौराहों का एक भूभाग मात्र नहीं है,बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की अंतरालमा का वह मुखर केंद्र है जहाँ सदियों से उपेक्षित,पीडित और अधिकारों से वंचित आम नागरिक अपनी उम्मीदों की आखिरी आस लेकर पहुंचता है। आज जब इस पावन स्थल पर गुंजने वाले आंदोलनों और प्रदर्शनों का गहराई से विश्लेषण किया जाता है, तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि क्या ये पूरी तरह से राजनीतिक लाभ से प्रेरित होते हैं? इस पर यथार्थ यह है कि राजनीति और जन-आक्रोश का यह ताना-बाना बेहद जटिल है,जहाँ एक ओर कुछ अवसरों पर राजनीतिक दल अपनी जमीन मजबूत करने या चुनावी रोटियां सेकने के लिए ऐसे मंचों का परोक्ष या अपरोक्ष उपयोग करते हैं, वहीं दूसरी ओर इन प्रदर्शनों की मूल आत्मा अक्सर उन भीषण वास्तविकताओं,जैसे बेरोजगारी के दलदल में धंसता युवा, महंगाई से त्रस्त गृहणियां, न्याय के लिए दर-दर भटकते किसान और शोषण का शिकार शोषित वर्ग,से उपजी होती है, जिनका किसी राजनीतिक एजेंडे से कोई सरोकार नहीं होता। इसके बावजूद, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जब इन जायज और जमीनी मुद्दों को लेकर जनता सड़कों पर उतरती है, तो हमारा शासन-प्रशासन और कार्यालिका जवाबदेही से बुरी तरह कतराते लगते हैं, अधिकारी और नीति-निर्माता राजनीतिक आकाओं के दबाव में जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के बजाय फाइलों के जाल,लालफीताशाही और टालमटोल की नीतियों के पीछे छिप जाते हैं। स्थिधान प्रत्येक भारतीय नागरिक को शांतिपूर्ण प्रदर्शन,सभा करने और अपने विचार व्यक्त करने का पावन अधिकार देता है, जिसका अर्थ है कि जब तक विरोध प्रदर्शन अनुशासित और अहिंसक हैं, तब तक वे पूरी तरह से कानूनी और सवैधानिक दायरे के भीतर आते हैं, और उन्हें कभी भी गैर-कानूनी या राष्ट्र विरोधी क़रार नहीं दिया जा सकता। परंतु वर्तमान व्यवस्था का यह सबसे काला पक्षलू है कि जब नागरिक अपने बुनियादी हक़ और न्याय की भीख मांगते हैं,तो क़ानून-व्यवस्था और शांति स्थापना के नाम पर पुलिस प्रशासन द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग, बेरहम लाठीचार्ज और मनमाने ढंग से की जाने वाली गिरफ्तारियां का सहारा लिया जाता है,क्या अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना कोई ऐसा अपराध है जिसके लिए नागरिकों को दमन का सामना करना पड़े? जब समाज के एक बड़े और मुख़र वर्ग का यह दर्द सड़कों पर जन-आंदोलन का रूप ले लेता है, तब उसे देश की सामूहिक आवाज़ मानने के बजाय सरकार द्वारा साधो जाने वाली लंबी और गहरी चुप्पी न केवल लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों की गला घोटने जैसी है, बल्कि यह सत्ता और आम जनमानस के बीच की खाई को और अधिक चौड़ा करती है। एक स्वस्थ, जीवंत और परिपक्व लोकतंत्र की सबसे बड़ी शर्त यह होती है कि वह अपने नागरिकों के असंतोष को सुने, उसकी तह तक जाकर समाधान ढूँढे और प्रशासन को पूरी तरह जवाबदेह बनाए,क्योंकि संवादहीनता, अहंकार और दमन की नीतियों से कभी किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल सकता,बल्कि इससे जनता का संवैधानिक व्यवस्था से धीरे-धीरे विश्वास उठने लगता है जो राष्ट्रहित में कर्तई उचित नहीं है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक



54 साल पुराना स्कूल, टपकती छत और रिसती दीवारें: जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर सोनहत के नौनिहाल

► 1970 में स्थापित स्कूल आज जर्जर भवन में संचालित

► बारिश में कक्षाएं बनीं 'तालाब', फर्श पर भरा पानी

► छत से झड़ रहा प्लास्टर, हर पल हादसे का खतरा

► स्टाफ रूम, शैक्षणिक सामग्री और अभिलेख भी पानी से खराब

प्रशासन कब लेगा सज़ान?

बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं

54 साल पुराना स्कूल, टपकती छत और रिसती दीवारें, जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर सोनहत के नौनिहाल

1970 में बना स्कूल अब खुद सहारे की तलाश में, बारिश में कक्षाएं बनीं तालाब, छत से झड़ रहा प्लास्टर, कमी भी हो सकता है बड़ा हादसा

शिक्षा के मंदिर की बद्दहाल तस्वीर, जर्जर स्कूल में मौत के साथे तले पड़ रहे छात्र

1970 में बना स्कूल अब खुद सहारे का मोहताज, बारिश में कक्षाएं बनीं तालाब

सोनहत का 54 साल पुराना स्कूल बना हादसे का इंतजार, छत टपकी तो एक कोने में सिमटे छात्र

करोड़ों की शिक्षा योजनाएं, लेकिन स्कूल की छत से टपक रहा पानी

जर्जर भवन में चल रही पढ़ाई, हर बारिश के साथ बढ़ रहा हादसे का खतरा

बच्चों की पढ़ाई या जान से खिलवाड़? 54 साल पुराने स्कूल की भयावह हकीकत

कहीं देर न हो जाए... जर्जर स्कूल भवन में हर दिन हादसे के साथे में शिक्षा

-राजन पाण्डेय-

सोनहत, 23 जुलाई 2026

(घटती-घटना)।

शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों हर वर्ष करोड़ों रुपये खर्च करने का दावा करती हैं, स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा, नई शिक्षा नीति और गुणवत्तापूर्ण अधोसंरचना जैसे बड़े-बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन कोरिया जिले के दूरस्थ आदिवासी विकासखंड सोनहत स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थिति इन सभी दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वर्ष 1970 में

बारिश शुरू होते ही कक्षा नहीं, तालाब बन जाता है स्कूल

मानसून की पहली अच्छी बारिश के साथ ही विद्यालय की असल तस्वीर सामने आ जाती है, कई कमरों की छतें पूरी तरह से रिसने लगती हैं, छत से गिरता पानी सीधे फर्श पर जमा हो जाता है और कुछ ही देर में पूरी कक्षा तालाब जैसी नजर आने लगती है, ऐसी स्थिति में बच्चों को अपनी बेंच-डेस्क एक कोने में खिसकाकर बैठना पड़ता है, जहां किसी तरह पानी कम टपक रहा हो, कई बार पूरी कक्षा को एक ही कोने में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है, शिक्षक भी मजबूरी में उसी स्थिति में पढ़ाई कराते हैं, क्योंकि वैकल्पिक कक्ष उपलब्ध नहीं है।

हर पल सिर पर मंडराता खतरा

विद्यालय भवन केवल पुराना ही नहीं, बल्कि अब बेहद जर्जर भी हो चुका है, छतों में जगह-जगह बड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। कई स्थानों से प्लास्टर पूरी तरह झड़ चुका है, लोहे के एंगल जंग खा चुके हैं और टीन शीट भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, सबसे बड़ी चिंता यह है कि बारिश के दौरान लगातार नमी बढ़ने से भवन की मजबूती पर भी असर पड़ रहा है, शिक्षकों और अभिभावकों का कहना है कि यदि समय रहते नए भवन की व्यवस्था नहीं हुई या व्यापक मरम्मत नहीं कराई गई, तो किसी भी दिन बड़ा हादसा हो सकता है।

स्थापित यह विद्यालय आज 54 वर्ष पुराने जर्जर भवन में संचालित हो रहा है, जहां छात्र-छात्राएं हर दिन पढ़ाई से पहले अपनी सुरक्षा की चिंता करने को मजबूर हैं, बरसात शुरू होते ही विद्यालय की हालत इतनी खराब हो जाती है कि कई कक्षाएं पानी से भर जाती हैं, छत से लगातार पानी टपकता रहता है और दीवारों से सीलन के साथ प्लास्टर झड़ने लगता है, इसके बावजूद सैकड़ों छात्र-छात्राएं इसी भवन में बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं।

क्या किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार है? -यह पहला अवसर नहीं है जब किसी सरकारी स्कूल की जर्जर स्थिति चर्चा में आई हो, प्रदेश में पहले भी कई स्थानों पर स्कूल भवनों की छत गिरने, दीवार ढहने और प्लास्टर गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या प्रशासन किसी दुर्घटना के बाद ही जागरे? क्या बच्चों की सुरक्षा केवल कागजों तक सीमित रह गई है?

54 साल पुराना भवन अब जवाब दे रहा है- वर्ष 1970 में बने इस विद्यालय ने कई पीढ़ियों को शिक्षा दी है,

लेकिन समय के साथ भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है, स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से नए भवन की मांग की जा रही है, अनेक बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपे गए, इसके बावजूद आज तक कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दी।

करोड़ों की योजनाएं, लेकिन स्कूल अब भी बद्दहाल- सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार बजट बढ़ाने की बात करती है, स्कूलों के आधुनिकीकरण, स्मार्ट क्लास, डिजिटल शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के दावे किए जाते हैं, लेकिन सोनहत का यह विद्यालय उन दावों की जमीनी हकीकत बयान कर रहा है, जब बच्चों के सिर पर सुरक्षित छत ही नहीं है, तब आधुनिक शिक्षा की बातें स्थानीय लोगों को खोखली लगती हैं।

ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी- स्थानीय ग्रामीणों, अभिभावकों और विद्यार्थियों ने स्पष्ट कहा है कि यदि जल्द ही विद्यालय के लिए नए भवन की स्वीकृति नहीं दी गई अथवा तब तक सुरक्षित वैकल्पिक भवन में कक्षाओं

शिक्षक भी हैं परेशानी में...

समस्या केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, विद्यालय का स्टाफ रूम भी पानी टपकने से प्रभावित है, शिक्षकों को बैठने तक के लिए सुरक्षित स्थान नहीं मिल पा रहा, विद्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेख, परीक्षा रिकॉर्ड, अंकसूचियां, उपस्थिति रजिस्टर, प्रयोगशाला सामग्री, पुस्तकालय की पुस्तकें तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री भी पानी से खराब होने की कगार पर हैं, हर बारिश के साथ सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि सरकारी रिकॉर्ड कैसे सुरक्षित रखे जाएं।

पढ़ाई से ज्यादा चिंता सुरक्षा की...

विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का कहना है कि बरसात के दिनों में उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर नहीं रह पाता, कभी छत से पानी टपकता है, कभी प्लास्टर गिरता है तो कभी पूरी कक्षा में पानी भर जाता है, ऐसे माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना करना भी मुश्किल दिखाई देता है।

अभिभावकों में बढ़ रही बेचैनी...

बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि हर दिन बच्चों को स्कूल भेजते समय मन में डर बना रहता है, उन्हें आशंका रहती है कि कहीं अचानक छत का प्लास्टर न गिर जाए, दीवार का कोई हिस्सा न टूट जाए या पानी के कारण बिजली का कोई हादसा न हो जाए, अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, लेकिन उससे भी अधिक जरूरी उनकी जान की सुरक्षा है।

का संचालन शुरू नहीं किया गया, तो वे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने को मजबूर होंगे, उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता।

जनता के खाल

- क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है?
- 54 वर्ष पुराने जर्जर भवन में आखिर कब तक पढ़ेंगे छात्र?
- शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सुरक्षित विद्यालय भवन क्यों उपलब्ध नहीं हो पा रहा?
- क्या ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों की सुरक्षा शासन की प्राथमिकता में शामिल नहीं है?
- यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?

अब निर्णय प्रशासन को लेना है...

सोनहत का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केवल एक जर्जर इमारत नहीं, बल्कि ग्रामीण शिक्षा व्यवस्था की उपेक्षा का प्रतीक बनता जा रहा है, हर दिन सैकड़ों छात्र-छात्राएं डर और असुरक्षा के बीच पढ़ाई करने पड़ते हैं। शिक्षक भी जोखिम उठाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अब जरूरत केवल आश्वासनों की नहीं, बल्कि तत्काल कार्रवाई की है, या तो विद्यालय के लिए नए भवन की स्वीकृति दी जाए या तब तक सुरक्षित वैकल्पिक भवन में कक्षाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक होगा, जब विद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र ही नहीं, बल्कि बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान भी होगा।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप पर ग्रामीणों का फूटा आक्रोश... उपसरपंच पति पर पॉक्सो में केस

करीब 100 ग्रामीण व परिजन देर रात पहुंचे कोतवाली, तत्काल गिरफ्तारी की मांग, आरोपी फरार, पुलिस टीम दबिश में जुटी

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 23 जुलाई 2026

(घटती-घटना)।

नाबालिग आदिवासी छात्रा से दुष्कर्म के आरोप के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। बुधवार रात करीब 100 ग्रामीण और पीड़िता के परिजन कोतवाली पहुंचे तथा आरोपी उपसरपंच के पति के खिलाफ तत्काल कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं 4 और 6 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी घटना के बाद से फरार है। पुलिस के अनुसार, पीड़िता कक्षा सातवीं की छात्रा है और गांव की उपसरपंच के घर सुबह-शाम घरेलू काम करने जाती



थी। दिन में वह स्कूल में पढ़ाई करती थी। परिजनों का आरोप है कि 20 जुलाई की शाम वह काम पर गई थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। परिवार की ओर से उसे बुलाने के लिए उसकी बहन को भेजा गया, जहां बताया

गया कि वह अभी काम कर रही है। पीड़िता ने परिजनों को बताया आपबीती : परिजनों का कहना है कि देर रात घर लौटने पर छात्रा ने उनके सामने अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिवार ने



पुलिस से संपर्क किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। रिपोर्ट नहीं कराने का लगाया आरोप : पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि घटना के अगले दिन कुछ लोगों

को उनके घर भेजकर समझौते का दबाव बनाया गया और रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने के बदले रुपए देने का प्रस्ताव भी रखा गया। परिजनों ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद ग्रामीणों और रिश्तेदारों के साथ बड़ी संख्या में लोग कोतवाली पहुंचे और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की।

गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश

कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। थाना प्रभारी ने बताया कि साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। आरोपी फिलहाल फरार है और उसे जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

मेडिकल कॉलेज अस्पताल से मरीज गायब, परिजन परेशान

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 23 जुलाई 2026

(घटती-घटना)।

मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती एक मरीज गायब गया, जिससे स्वजन परेशान हैं। स्वजन ने अस्पताल के पुलिस सहयता केंद्र और मण्डीपुर थाना में इसकी सूचना दी है, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया है। जानकारी के मुताबिक, बलरामपुर जिला के पस्ता थाना अंतर्गत ग्राम बासेन निवासी लालबिहारी रवि पिता रामनाथ रवि 40 वर्ष को बीते सोमवार की रात को अचानक झटका आने पर स्वजन रावपुर स्वास्थ्य केंद्र ले गए थे। यहां से प्राथमिक उपचार के बाद रेफर करने पर मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अम्बिकापुर लेकर पहुंचे, यहां मेल मेडिकल वार्ड में भर्ती करके चिकित्सक उसका



उपचार कर रहे थे। 22 जुलाई, बुधवार को दिन में करीब 11.30 बजे वह बेड से उठा, तो शौचालय जा रहे होंगे, सोचकर पत्नी ध्यान नहीं दी। काफी देर तक जब लालबिहारी वापस नहीं लौटा तो उसकी खोजबीन शुरू हुई, और चिकित्सक, नर्स को जानकारी दी गई, लेकिन कुछ पता नहीं

चला। सीसीटीवी को खंगालने पर बीमार युवक अस्पताल के बीच गेट से निकलते नजर आ रहा है, लेकिन इसके बाद कहां गया, पता नहीं चल पाया है। चप्पे-चप्पे पर तैनात रहने वाले निजी सुरक्षा कर्मियों के बाद भी अस्पताल से भर्ती मरीज का गायब हो जाना समझ से परे है। गायब युवक के स्वजन ने बताया कि, वे गृहग्राम तक गायब युवक को तलाश कर पुनः अम्बिकापुर वापस लौटे हैं। मण्डीपुर थाना में गुम इंसान की सूचना देने के लिए वे गए थे, यहां केस दर्ज करने के लिए भर्ती पच्ची लेकर आने कहा गया। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा भी बुधवार को दोपहर तक भर्ती मरीज के गायब होने के संबंध में किसी प्रकार की तहरीर पुलिस को उपलब्ध नहीं कराई गई थी, जिससे उसकी खोजबीन की जा सके।

मिनरल फैक्ट्री की बाउंड्रीवाल से खेतों में मरा पानी, किसानों ने मांगा मुआवजा

रघुनाथपुर के ग्रामीणों ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

लुंड्रा विकासखंड के रघुनाथपुर क्षेत्र के किसानों ने एक मिनरल फैक्ट्री पर बाउंड्रीवाल निर्माण से प्राकृतिक जल निकासी बाधित करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि बारिश का पानी खेतों में भर जाने से फसल प्रभावित हो रही है। इस संबंध में ग्रामीणों ने तहसीलदार रघुनाथपुर को आवेदन सौंपकर मौके का निरीक्षण कराने, फसल नुकसान का आकलन करने तथा मुआवजा दिलाने की मांग की है। आवेदन में कहा गया है कि संबंधित मिनरल फैक्ट्री की बाउंड्रीवाल बनने के बाद बारिश का पानी खेतों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इससे खेती योग्य भूमि में जलभराव की स्थिति बन गई है और फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। किसानों का कहना है कि यदि शीघ्र जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई तो आगामी खेती भी प्रभावित होगी।



पीकअप की टक्कर से घायल युवक की मौत

-संवाददाता-

अम्बिकापुर, 23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

पिकअप वाहन की टोकर से घायल युवक की मौत हो गई। मृतक शंभुदयाल सिंह पिता सत्यनारायण सिंह 34 वर्ष, उदयपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सरगवां का रहने वाला था। 22 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे वह अम्बिकापुर स्थित मोबाइल दुकान में काम करने के लिये मोटरसाइकल से आ रहा था। ग्राम सिंगीटाना में सलका मोड़ के पास सामने से आ रही पिकअप वाहन के चालक ने उसे टोकर मार दिया। घायल अवस्था में उसे मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल भेजा गया, यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर ली है। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन के सुपुर्द कर दिया है।

विश्वसनीयता की एक पहचान

सरगुजा मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र

मत्स्य पालन कर लाए कमाये मत्स्य किसान

छत्तीसगढ़ से मान्यता प्राप्त...

उपलब्ध मछली प्रजाति

कतला, रू, मिरिगल, ग्रास, कार्प, सिल्वर कार्प, कामन कार्प

हमारी विशेषताएं

गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज, वैधानिक तरीके से उत्पादन, उच्च जीविकता दर, मायका चयन के लिए उपयुक्त, किसानों के लिए जीवन बर्बाद नहीं, उचित मूल्य पर उपलब्ध

संपर्क करें

के.आर. टैनिन कालेज के पीछे, प्रतापपुर रोड, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)

संपादक: **राजेन्द्र दुबे**
98266-03533

62669-058335 (रिंकू चौधरी) | 96690-58335 (निजल मण्डल)

स्वस्थ बीज, अधिक उत्पादन - खुशहाल किसान, समृद्ध भारत

**क्या थाने में न्याय की जगह समझौते और वसूली का खेल ?
खाकी की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल**

CMYK

वर्दी में नशा,कार्रवाई सिर्फ निलंबन? 388 एमजी अल्कोहल की पुष्टि के बाद भी अपराध दर्ज नहीं,जनता पूछ रही-क्या कानून सबके लिए समान है?

वर्दी में नशा, कार्रवाई सिर्फ निलंबन? डायल-112 हादसे के बाद उठे कई बड़े सवाल

388 एमजी अल्कोहल की पुष्टि, सरकारी वाहन भी हुआ दुर्घटनाग्रस्त, आम नागरिक पर केस,वर्दीधारी पर सिर्फ विभागीय कार्रवाई क्यों?

-रवि सिंह-

मनेंद्रगढ़ 23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

एमसीबी जिले में डायल-112 में तैनात एक आरक्षक के ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए जाने का मामला अब केवल विभागीय अनुशासन का विषय नहीं रह गया है,बल्कि कानून के समान अनुपालन और पुलिस की जवाबदेही पर भी गंभीर बहस छेड़ रहा है, पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार 19 जुलाई 2026 को थाना जनकपुर में डायल-112 वाहन में ड्यूटी के दौरान आरक्षक अविनाश गुप्ता द्वारा शराब सेवन किए जाने की पुष्टि चिकित्सीय परीक्षण और ब्रेथ एनालाइजर जांच में हुई, आदेश में ही उल्लेख है कि ब्रेथ एनालाइजर में 388 एमजी अल्कोहल पाया गया तथा इसी दौरान डायल-112 वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से आरक्षक को निलंबित कर रक्षित केंद्र सबद्ध करते हुए विभागीय जांच के आदेश जारी किए, लेकिन इस कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या केवल निलंबन ही पर्याप्त कार्रवाई है?

बता दे की यह निर्विवाद है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबन की कार्रवाई विभागीय अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक कदम है,लेकिन जनता की अपेक्षा इससे आगे की भी है,यदि किसी मामले में विधिक प्रावधान लागू होते हैं,तो उनकी निष्पक्ष और समान रूप से पालना होना ही कानून के राज की सबसे बड़ी कसौटी है,अब निगाहें इस बात पर हैं कि विभागीय जांच के साथ-साथ क्या इस मामले

जब शराब पीने की पुष्टि हो गई तो आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं?

आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आरक्षक ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में था, मेडिकल परीक्षण कराया गया और ब्रेथ एनालाइजर में अल्कोहल की पुष्टि हुई,साथ ही सरकारी डायल-112 वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने का भी उल्लेख है,ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई आम नागरिक शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई होती है, चालान बनता है, कई मामलों में अपराध दर्ज होता है और वाहन तक जब्त कर लिया जाता है। फिर जब एक वर्दीधारी सरकारी वाहन चलाते समय नशे में पाया गया, तो उसके मामले में केवल विभागीय कार्रवाई तक ही बात क्यों सीमित रही?

क्या कानून सबके लिए समान है?

पुलिस हमेशा यह संदेश देती है कि कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन इस मामले ने जनता के बीच यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या यह सिद्धांत पुलिस विभाग के अपने कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होता है? यदि कोई निजी चालक शराब के नशे में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होती है, ऐसे में डायल-112 जैसे आपातकालीन सेवा वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के बावजूद केवल निलंबन से क्या पूरा मामला समाप्त माना जा सकता है?

के वैधानिक पहलुओं पर भी कोई स्पष्ट निर्णय सामने आता है,जनता के मन में उठ रहे सवालों का पारदर्शी उत्तर ही पुलिस व्यवस्था में विश्वास को और मजबूत कर सकता है।

क्या मीडिया में मामला आने के बाद हुई कार्रवाई?—घटना 19 जुलाई की बताई जा रही है, जबकि निलंबन आदेश 20 जुलाई को जारी हुआ, शहर में यह चर्चा भी है कि यदि मामला शुरू से ही स्पष्ट था,तो संबंधित वैधानिक कार्रवाई तत्काल क्यों नहीं की गई? क्या पहले इसे केवल विभागीय स्तर तक सीमित रखने की कोशिश हुई और बाद में मामला चर्चा में आने पर निलंबन की कार्रवाई सामने आई? इन सवालों के आधिकारिक उत्तर अभी सामने नहीं आए हैं।

रात की पेट्रोलिंग पर भी उठ रहे सवाल—इस घटना के बाद शहर में एक और चर्चा तेज हो गई है, नागरिकों का कहना है कि रात के समय कुछ पेट्रोलिंग वाहनों में तैनात

पुलिसकर्मियों द्वारा कथित रूप से शराब सेवन कर ड्यूटी करने की शिकायतें पहले भी सुनने को मिलती रही हैं, इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यदि ऐसी शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं तो पुलिस प्रशासन के लिए यह गंभीर संकेत हो सकता है।

क्या खेमा औचक तेज एनालाइजर अभियान?

जनता का मानना है कि यदि पुलिस अधीक्षक स्वयं रात्रिकालीन पेट्रोलिंग का औचक निरीक्षण करें, डायल-112 और अन्य पेट्रोलिंग वाहनों की अचानक जांच करें, ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों का ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण कराएं, तो स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकती है, यदि सब कुछ सामान्य मिलता है तो अफवाहों पर विराम लगेगा, और यदि कहीं अनुशासनहीनता मिले तो समय रहते उस पर कठोर कार्रवाई संभव होगी।



सरकारी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ,नुकसान का जिम्मेदार कौन?

मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू सरकारी संपत्ति से जुड़ा है,यदि आदेश के अनुसार शराब के नशे में डायल-112 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो यह भी जांच का विषय है कि वाहन को कितना नुकसान हुआ? दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई? क्या केवल विभागीय जांच पर्याप्त है? क्या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े अन्य कानूनी प्रावधान भी लागू होते हैं? इन बिंदुओं पर अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई पर दो नज़रिए...

इस पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल निलंबन को अनुशासन के प्रति सख्त संदेश माना जा रहा है,यह स्पष्ट संकेत है कि विभाग ड्यूटी के दौरान शराब सेवन को गंभीर अनुशासनहीनता मानता है,दूसरी ओर, जनता का एक वर्ग यह भी पूछ रहा है कि यदि शराब सेवन की पुष्टि मेडिकल और ब्रेथ एनालाइजर से हो चुकी थी, तो क्या विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ लागू होने वाले वैधानिक प्रावधानों पर भी विचार नहीं होना चाहिए था?

देहदान कर अमर हुए समाजसेवी गणेश दास मानिकपुरी,अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए मेडिकल कॉलेज रायपुर को सौंपी गई पार्थिव देह

कोरिया जनसंपर्क अधिकारी विजय मानिकपुरी के पिता गणेश दास मानिकपुरी नहीं रहे,देहदान कर मानवता को दे गए अमर संदेश

समाजसेवा की अंतिम मिसाल,गणेश दास मानिकपुरी की पार्थिव देह मेडिकल कॉलेज को दान,नम अंशों से दी गई अंतिम विदाई

जीवनभर समाज की सेवा,मृत्यु के बाद भी मानवता के नाम देहदान...गणेश दास मानिकपुरी को भावभीनी विदाई

रामायण के प्रख्यात टीकाकार एवं समाजसेवी गणेश दास मानिकपुरी पंचतत्व में विलीन, देहदान से रचा सेवा का नया अध्याय
कोरिया/रायपुर 23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

कोरिया जिले के जनसंपर्क अधिकारी विजय मानिकपुरी के पिता,प्रख्यात समाजसेवी,रामायण के प्रख्यात टीकाकार एवं देहदान संकल्पी श्री गणेश दास मानिकपुरी का बुधवार सुबह रायपुर स्थित उनके निवास दोन्हे खुर्द में आकस्मिक निधन हो गया, उनके निधन से सामाजिक,सांस्कृतिक, साहित्यिक, पत्रकारिता एवं जनसंपर्क जगत में गहरा शोक व्याप्त हो गया, समाज ने एक ऐसे व्यक्तित्व को खो दिया,जिसने अपना संपूर्ण जीवन सेवा, संस्कार, आध्यात्मिक चेतना और मानवीय मूल्यों के लिए समर्पित कर दिया था, उनके निधन की सूचना मिलते ही रायपुर स्थित निवास पर अंतिम दर्शन के लिए जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों,जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों,पत्रकारों,साहित्यकारों,सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं बड़ी संख्या में शुभचिंतकों का तांता लग गया। सभी ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई देते हुए उनके व्यक्तित्व और समाज के प्रति उनके अतुलनीय योगदान को स्मरण किया।

प्रदेशभर में शोक,33 जिलों के जनसंपर्क अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि— स्व. गणेश दास मानिकपुरी के निधन का समाचार मिलते ही प्रदेशभर में शोक की लहर दौड़ गई, छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में पदस्थ जनसंपर्क अधिकारियों सहित अनेक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों, साहित्यकारों तथा विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने शोक संदेश जारी कर उन्हें



भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की, सभी ने एक स्वर में कहा कि श्री मानिकपुरी का निधन केवल उनके परिवार की नहीं,बल्कि पूरे समाज की अपूरणीय क्षति है, उनका जीवन समाजसेवा, नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत उदाहरण था।

रामायण के प्रख्यात टीकाकार के रूप में बनाई विशिष्ट पहचान—गणेश दास मानिकपुरी केवल समाजसेवी नहीं थे,बल्कि वे रामायण के प्रख्यात टीकाकार के रूप में भी व्यापक सम्मान प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने वर्षों तक धार्मिक आयोजनों, सत्संगों एवं सामाजिक कार्यक्रमों में रामायण की सरल, सहज और जीवनोपयोगी व्याख्या प्रस्तुत कर लोगों को धर्म के साथ-साथ नैतिकता, सामाजिक उत्तरदायित्व और मानवीय मूल्यों का संदेश दिया,उनकी वाणी में केवल धार्मिक प्रवचन नहीं,बल्कि समाज को सही दिशा देने वाली जीवनदृष्टि होती थी,यही कारण था कि वे विभिन्न सामाजिक और धार्मिक आयोजनों में विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते थे।

स्पष्टवादिता, सादगी और सामाजिक सरोकारों से अर्जित किया सम्मान—श्री मानिकपुरी की सबसे बड़ी पहचान उनकी सादगी, स्पष्टवादिता और निर्भीक व्यक्तित्व था,उन्होंने कभी दिखावे की समाजसेवा नहीं की,बल्कि अपने कार्यों के माध्यम से

मानिकपुरी ने अपने जीवन के साथ-साथ मृत्यु के बाद भी समाज की सेवा का मार्ग चुना,देहदान चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है,मेडिकल विद्यार्थियों को मानव शरीर की संरचना का अध्ययन कराने में ऐसे दान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उनके इस निर्णय ने समाज को यह संदेश दिया कि मृत्यु के बाद भी मानव जीवन दूसरों के लिए उपयोगी बन सकता है।

मानवता के प्रति समर्पण का अद्भुत उदाहरण—श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, पत्रकारों और समाजजनों ने कहा कि श्री मानिकपुरी ने अपने जीवन में सेवा,त्याग और मानवता की जो मिसाल स्थापित की, उसे उन्होंने अपने अंतिम निर्णय से और भी ऊंचाई प्रदान कर दी,वक्ताओं ने कहा कि देहदान केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि मानव कल्याण और चिकित्सा विज्ञान के विकास में अमूल्य योगदान है। ऐसे निर्णय समाज में जागरूकता पैदा करते हैं और लोगों को देहदान जैसे पुनीत कार्य के लिए प्रेरित करते हैं।

विजय मानिकपुरी के प्रति संवेदनाएं व्यक्त—श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों ने कोरिया जिले के जनसंपर्क अधिकारी विजय मानिकपुरी एवं उनके समस्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, सभी ने कहा कि एक पिता का साया खोना अपूरणीय क्षति है, लेकिन श्री गणेश दास मानिकपुरी अपने विचारों, संस्कारों और सेवा कार्यों के माध्यम से सदैव समाज के बीच जीवित रहेंगे।

समाज को दे गए अमर संदेश— स्व. गणेश दास मानिकपुरी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि व्यक्ति का मूल्य उसके पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति से नहीं, बल्कि समाज के लिए किए गए कार्यों से तय होता है, उन्होंने अपने जीवन में धर्म को आडंबर नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया, समाजसेवा को दायित्व माना और मृत्यु के बाद देहदान कर यह सिद्ध कर दिया कि मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य ही मानवता की सेवा ही हो सकता है, उनकी विदाई केवल एक व्यक्ति की विदाई नहीं, बल्कि समाजसेवा के एक ऐसे युग का अवसान है, जिसने अपने कर्मों से हजारों लोगों को प्रेरित किया। आज वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सादगी, विचार, समाजसेवा, रामायण की व्याख्याएं और देहदान का महान निर्णय आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

सहयोग फाउंडेशन का हुआ शुभारंभ, समाजसेवा के लिए समर्पित रहेगा संस्थान

-संवाददाता- प्रतापपुर,23 जुलाई 2026 (घटती-घटना)।

समाजसेवा एवं जनकल्याण के उद्देश्य से स्थापित सहयोग फाउंडेशन का शुभ उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक माननीय श्रीमती शकुंतला सिंह पोतें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। उन्होंने अपने कर-कमलों द्वारा सहयोग फाउंडेशन का विधिवत उद्घाटन करते हुए संस्था के सेवा कार्यों

की सराहना की तथा इसके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। सहयोग फाउंडेशन एक चैरिटेबल (धार्मिक) संस्था है, जिसका उद्देश्य समाज के जरूरतमंद एवं वंचित लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, वस्त्र, आश्रय तथा अन्य जनकल्याणकारी कार्यों के माध्यम से सेवा करना है। संस्था का लक्ष्य मानवता, सहयोग सेवा की भावना के साथ समाज के हर वर्ग तक सहायता पहुंचाना है।

संस्था के संस्थापक सदस्य हैं—शिवम गुप्ता, सौरभ गुप्ता, विलियम मिंज, शुभम जायसवाल नीलकंठ यादव, एवं ऋषभ गुप्ता। कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम पंचायत सेमरा खुर्द के सरपंच रूपा मिंज एवं नागरिकों ने सहयोग फाउंडेशन को इस सेवा अभियान की सराहना करते हुए संस्था के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। संस्था ने समाज के सभी लोगों से जनसेवा के इस अभियान में सहयोग देने का आग्रह किया।



फ्रांस, 23 जुलाई 2026 फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। फीफा द्वारा हटाए गए 2026 के बाद टीम के मौजूदा कोच विंदिए डेझचैम्प के पद से हटने के बाद महान फुटबॉलर जिनेदिन जिदान को नया मुख्य कोच बनाए जाने की संभावना तेज हो गई है। फ्रांस फुटबॉल महसंगस जल्द ही नए कोच के नाम की आधिकारिक घोषणा कर सकता है। इस पद के लिए जिदान का नाम सबसे आगे चल रहा है। फ्रांस फुटबॉल महसंगस ने गुरुवार को जानकारी दी कि अध्यक्ष फिलिपे दियालो आगे मॉलबार को परिस स्थित महसंगस मुख्यालय से नए कोच के नाम का ऐलान करेंगे। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से किसी नाम की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फुटबॉल जगत में चर्चा है कि जिदान को राष्ट्रीय टीम की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है।

